

बिहार विधान सभा सचिवालय

षोडश बिहार विधान सभा के त्रयोदश सत्र में व्यवस्थापन हेतु दिनांक 15 जुलाई, 2019 के लिए संलग्न कटौती प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं :-

माँग संख्या - 10

आय-व्ययक शीर्षक - उर्जा विभाग

141. प्रभारी मंत्री, उर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "उर्जा विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 88,94,31,85,000/- (अठ्ठासी अरब चौरानवे करोड़ एकतीस लाख पचासी हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 142-148. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, श्री ललित कुमार यादव, श्री सदानंद सिंह, श्री भोला यादव, श्री महबूब आलम, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री रामदेव राय प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की उर्जा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 38

आय-व्ययक शीर्षक - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

149. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 2,37,40,94,000/- (दो अरब सैंतीस करोड़ चालीस लाख चौरानवे हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 150-152. श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 46

आय-व्ययक शीर्षक - पर्यटन विभाग

153. प्रभारी मंत्री, पर्यटन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "पर्यटन विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 2,98,09,37,000/- (दो अरब अनठानवे करोड़ नौ लाख सैंतीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 154-156. श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पर्यटन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 44

आय-व्ययक शीर्षक - अनु० जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

157. प्रभारी मंत्री, अनु० जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "अनु० जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 15,15,53,99,000/- (पन्द्रह अरब पन्द्रह करोड़ तिरपन लाख नानानवे हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

158. श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की अनु० जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय

सचिव

बिहार विधान सभा, पटना।

कर्तव्य प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2019- 2869

/वि०स०, पटना, दिनांक- 02 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के संबंधित माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के संबंधित विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / वित्त आयुक्त / प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(भूदेव राय)


निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2019- 2869

/वि०स०, पटना, दिनांक- 02 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।


(भूदेव राय)


निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2019- 2869

/वि०स०, पटना, दिनांक- 02 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य इकाई शाखा को विधान सभा के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


(भूदेव राय)


निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2019- 2869

/वि०स०, पटना, दिनांक- 02 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा (पाँच प्रतियों में), बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(भूदेव राय)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

र.व.
02/7